

10/7/16

कार्यालय, महानिदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पत्रांक निदे०का०/शिविर/स्था० (नि०अ०)/टी०सी०/2016 17/

दिनांक 18/07/2016

—: संशोधन/शुद्धि पत्र :-

महानिदेशालय के कार्यालय झाप सं०- निदे०का०/शिविर/स्था० (नि०अ०) /टी०सी० /2016 -17 /263-71 दिनांक 30 जून, 2016 में निम्न त्रुटि डा० यादव के प्रार्थना पत्र दिनांक 14.07.2016 एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी की संस्तुति दिनांक 16.07.2016 के माध्यम से संज्ञान में लायी गयी है। जिसे निम्नवत् संशोधित किया जाता है।

- 1 कम संख्या- 23 पर अंकित डा० बबन प्रसाद यादव का स्थानान्तरण अधीन मुख्य चिकित्साधिकारी, बलिया से अधीन मुख्य चिकित्साधिकारी, जौनपुर किया गया था। जिसे डा० यादव की पत्नी श्रीमती लक्ष्मी चौधरी, सहायक अध्यापक के पद पर प्राथमिक विद्यालय मन्दा शिक्षा क्षेत्र- रसड़ा जनपद-बलिया पद तैनात है। (दम्पति नीति) के अन्तर्गत शासन द्वारा जारी स्थानान्तरण नीति वर्ष 2016-17 में की गयी व्यवस्था के दृष्टिगत निरस्त किया जाता है।

(जी०के० कुरील)
निदेशक (कार्मिक)

पत्रांक निदे०का०/शिविर/स्था० (नि०अ०)/टी०सी०/2016-17/34-48 तददिनांक
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1 महालेखाकार उ०प्र० इलाहाबाद।
- 2 विशेष सचिव, उ०प्र०, शासन चिकित्सा अनुभाग-8
- 3 मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, आजमगढ़/वाराणसी, उ०प्र०।
- 4 मुख्य चिकित्साधिकारी, बलिया/जौनपुर, उ०प्र०।
- 5 वरिष्ठ कोषाधिकारी, बलिया/जौनपुर, उ०प्र०।
- 6 संबंधित चिकित्साधिकारी।
- 7 प्रभारी कम्प्यूटर सेल, स्वास्थ्य भवन, लखनऊ को इस निर्देश के साथ प्रेषित की उपरोक्त आदेशों को ई-मेल/विभागीय वेबसाइट पर आज ही अपलोड करना सुनिश्चित करे।
- 8 गार्ड फाइल।

(जी०के० कुरील)
निदेशक (कार्मिक)

कार्यालय, महानिदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पत्रांक: 2फ/स्था0/2016-17/

दिनांक 18/07/2016

—: शुद्धि पत्र :-

महानिदेशालय के आदेश सं0-2फ/स्था0/2016-17/732-39 दिनांक 30 जून, 2016 में कतिपय त्रुटियों संज्ञान में लायी गयी है एवं संशोधन के अनुरोध प्राप्त हुए, जिन्हे निम्नवत संशोधित किया जाता है।

1. डा0 महेन्द्र कुमार यादव का स्थानान्तरण अधीन मुख्य चिकित्साधिकारी, जौनपुर से अधीन मुख्य चिकित्साधिकारी, चन्दौली किया गया था। जिसे डा0 यादव की पत्नी डा0 पूजा यादव चिकित्साधिकारी, महिला, शाहगंज, जौनपुर के पद पर कार्यरत है। (दम्पति नीति) के अन्तर्गत शासन द्वारा जारी स्थानान्तरण नीति वर्ष 2016-17 में की गयी व्यवस्था के दृष्टिगत निरस्त किया जाता है।
2. डा0 आनन्द कुमार का स्थानान्तरण अधीन मुख्य चिकित्साधिकारी, जौनपुर से अधीन मुख्य चिकित्साधिकारी, चन्दौली किया गया था। जनपद में 6 वर्ष से कम अवधि के दृष्टिगत निरस्त किया जाता है।
3. डा0 राजेन्द्र प्रसाद विश्वकर्मा का स्थानान्तरण अधीन मुख्य चिकित्साधिकारी, जौनपुर से अधीन मुख्य चिकित्साधिकारी, चन्दौली किया गया था। जनपद में 6 वर्ष से कम अवधि के दृष्टिगत निरस्त किया जाता है।

(जी0के0 कुरील)
निदेशक (कार्मिक)

पत्रांक: 2फ/स्था0/2016-17/826-33,

तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूधनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार उ0प्र0 इलाहाबाद।
2. विशेष सचिव, उ0प्र0, शासन चिकित्सा अनुभाग-8
3. सम्बन्धित मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0।
4. सम्बन्धित मुख्य चिकित्साधिकारी उ0प्र0।
5. सम्बन्धित वरिष्ठ कोषाधिकारी उ0प्र0।
6. संबंधित चिकित्साधिकारी।
7. प्रभारी कम्प्यूटर सेल, स्वास्थ्य भवन, लखनऊ को इस निर्देश के साथ प्रेषित की उपरोक्त आदेशों को विभागीय वेबसाइट पर आज ही अपलोड करना सुनिश्चित करे।
8. गार्ड फाइल।

(जी0के0 कुरील)
निदेशक (कार्मिक)

K
18/7/16

कार्यालय, महानिदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पत्रांक 3फ/स्था0/2016-17/

दिनांक 18/07/2016

—: शुद्धि पत्र :-

महानिदेशालय के कार्यालय ज्ञाप सं0-3फ/स्था0/2016-17/1085-93 दिनांक 30 जून, 2016 में कतिपय त्रुटिया संज्ञान में लायी गयी है जिन्हे निम्नवत् संशोधित किया जाता है।

1. क्रमांक 05 पर अंकित डा0 राजीव वर्मा का स्थानान्तरण बी0बी0डी0रा0 चिकित्सालय, बुलन्दशहर से अधीन मुख्य चिकित्साधिकारी, मुजफ्फरनगर किया गया था। इनकी विकलांगता के दृष्टिगत निरस्त किया जाता है। डा0 वर्मा अपनी पूर्व तैनाती पर यथावत बने रहेंगे।
2. क्रमांक 07 पर अंकित डा0 शैलेन्द्र कुमार शुक्ला का स्थानान्तरण अधीन मुख्य चिकित्साधिकारी, हरदोई से अधीन मुख्य चिकित्साधिकारी, कानपुर देहात किया गया था। जनपद में 6 वर्ष से कम अवधि के दृष्टिगत निरस्त किया जाता है।
3. क्रमांक 19 पर अंकित डा0 सैय्यद फरहान हाशमी का स्थानान्तरण अधीन मुख्य चिकित्साधिकारी, खीरी से अधीन मुख्य चिकित्साधिकारी, बदायूं किया गया था जिसे डा0 हाशमी के अनुरोधानुसार संशोधित करते हुए अधीन मुख्य चिकित्साधिकारी, उन्नाव किया जाता है।
4. क्रमांक 25 पर अंकित डा0 सीमा रानी गौतम का स्थानान्तरण अधीन मुख्य चिकित्साधिकारी, उन्नाव से अधीन मुख्य चिकित्साधिकारी, हमीरपुर किया गया था। (दम्पति नीति) के अन्तर्गत शासन द्वारा जारी स्थानान्तरण नीति वर्ष 2016-17 में की गयी व्यवस्था के दृष्टिगत निरस्त किया जाता है।

(जी0के0 कुरील)
निदेशक (कार्मिक)

पत्रांक: 3फ/स्था0/2016-17/1249-57

तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार उ0प्र0 इलाहाबाद।
2. विशेष सचिव, उ0प्र0, शासन चिकित्सा अनुभाग-8
3. सम्बन्धित मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0।
4. सम्बन्धित मुख्य चिकित्साधिकारी उ0प्र0।
5. सम्बन्धित मुख्य/चिकित्सा अधीक्षक/अधीक्षिका जिला चिकित्सालय उ0प्र0।
6. सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उ0प्र0।
7. संबन्धित चिकित्साधिकारी।
8. प्रभारी कम्प्यूटर सेल, स्वास्थ्य भवन, लखनऊ को इस निर्देश के साथ प्रेषित की उपरोक्त आदेशों को विभागीय वेबसाइट पर आज ही अपलोड करना सुनिश्चित करे।
9. गार्ड फाइल।

C
18/7/16
(जी0के0 कुरील)
निदेशक (कार्मिक)

13/7/16

कार्यालय, महानिदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पत्रांक: 2फ/स्था0/2016-17/

दिनांक 18/07/2016

—: शुद्धि पत्र :-

महानिदेशालय के आदेश सं0-2फ/स्था0/2016-17/732-39 दिनांक 30 जून, 2016 में क्रमांक 16 पर अंकित डा0 कामराज राव का स्थानान्तरण अधीन मुख्य चिकित्साधिकारी, इलाहाबाद से अधीन मुख्य चिकित्सालय फतेहपुर किया गया था जिसे डा0 राव की पत्नी ममता कुमारी पू0मा0 विद्यालय, सरायदादन इलाहाबाद में सहायक अध्यापिका के पद पर कार्यरत है। (दम्पति नीति) के अन्तर्गत शासन द्वारा जारी स्थानान्तरण नीति वर्ष 2016-17 में की गयी व्यवस्था के दृष्टिगत निरस्त किया जाता है।

(जी0के0 कुरील)
निदेशक (कार्मिक)

पत्रांक: 2फ/स्था0/2016-17/817-24,

तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार उ0प्र0 इलाहाबाद।
2. विशेष सचिव, उ0प्र0, शासन चिकित्सा अनुभाग-8
3. सम्बन्धित मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0।
4. सम्बन्धित मुख्य चिकित्साधिकारी उ0प्र0।
5. सम्बन्धित वरिष्ठ कोषाधिकारी उ0प्र0।
6. संबंधित चिकित्साधिकारी।
7. प्रभारी कम्प्यूटर सेल, स्वास्थ्य भवन, लखनऊ को इस निर्देश के साथ प्रेषित की उपरोक्त आदेशों को विभागीय वेबसाइट पर आज ही अपलोड करना सुनिश्चित करे।
8. गार्ड फाइल।

(जी0के0 कुरील)
निदेशक (कार्मिक)

कार्यालय महानिदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ०प्र० लखनऊ ।

पत्र संख्या-३फ/ए/स्था०/२०१६-१७/

लखनऊ, दिनांक १०/०७/२०१६

:- आदेश :-

महानिदेशालय के आदेश संख्या-३फ/ए/स्था०/२०१६-१७/१२३८-४५ दिनांक ३०.०६.२०१६ के क्रमांक-३ पर अंकित डा० रवि गुप्ता, चिकित्साधिकारी, अधीन मुख्य चिकित्सा अधिकारी, आगरा का स्थानान्तरण मुख्य चिकित्सा अधिकारी, मैनपुरी के अधीन किया गया था, को डा० गुप्ता के गंभीर बीमारी (कैंसर) होने के कारण तत्कालिक प्रभाव से निरस्त किया जाता है।

(जी०के० कुरील)
निदेशक (कार्मिक)

पत्र संख्या-३फ/ए/स्था०/२०१६-१७/१३३१-३६ तददिनांक।

प्रतिज्ञिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, आगरा मण्डल आगरा।
- 2- मुख्य चिकित्सा अधिकारी, आगरा/मैनपुरी।
- 3- मुख्य कोषाधिकारी, आगरा/मैनपुरी।
- 4- संबंधित चिकित्सा अधिकारी।
- 5- प्रभारी, कम्प्यूटर सेल, स्वास्थ्य भवन, लखनऊ को इस निर्देश के साथ की उक्त आदेश को ई०मेल/विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करना सुनिश्चित करे।
- 6- गार्ड फाइल।

(जी०के० कुरील)
निदेशक (कार्मिक)

12
18/07/16

कार्यालय महानिदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ०प्र० लखनऊ।

पत्र संख्या-2फ/स्था०/2016-17/

लखनऊ दिनांक 18/07/2016

-: आदेश :-

महानिदेशालय के आदेश संख्या-2फ/स्था०/2016-17/731 दिनांक 30.06.2016 के क्रमांक-5 पर अंकित डा० मनोज कुमार, चिकित्साधिकारी, अधीन मुख्य चिकित्सा अधिकारी, जौनपुर का स्थानान्तरण मुख्य चिकित्सा अधिकारी, वाराणसी के अधीन किया गया था, को गृह जनपद वाराणसी होने के कारण तत्कालिक प्रभाव से निरस्त किया जाता है।

(जी०के० कुरील)
निदेशक (कार्मिक)

पत्र संख्या-2फ/स्था०/2016-17/810-15,

तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, वाराणसी मण्डल वाराणसी।
- 2- मुख्य चिकित्सा अधिकारी, जौनपुर/वाराणसी।
- 3- मुख्य कोषाधिकारी, जौनपुर/वाराणसी।
- 4- संबंधित चिकित्सा अधिकारी।
- 5- प्रभारी, कम्प्यूटर सेल, स्वास्थ्य भवन, लखनऊ को इस निर्देश के साथ की उक्त आदेश को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करना सुनिश्चित करे।
- 6- गार्ड फाइल।

(जी०के० कुरील)
निदेशक (कार्मिक)